संख्याः /01(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/ 2018

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव,
वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

वित्त विभाग अनुभाग–1 ::देहरादूनः: दिनांकः 22 जनवरी, 2018

विषयः– **शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के अन्तर्गत कय की जाने वाली भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि नगर पालिका परिषद–रामनगर को ठोस अपशिष्ठ प्रबन्ध के अन्तर्गत कय की जाने वाली भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹8,58,143.00 (₹आठ लाख अट्ठावन हजार एक सौ तैंतालीस मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही है:–

1. शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ठ के निस्तारण हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा चाहरदीवारी या पुश्ते के निर्माण हेतु एक व्यपगत न होने वाली निधि की स्थापना की जाय, जिससे जब भी निकायों को वन भूमि उपलब्ध करायी जाय तब शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) का भुगतान किया जा सके।
2. एन.पी.वी. भुगतान हेतु धनराशि निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के निवर्तन पर रखी गई है, जिसे निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग/व्यक्तियों को अवमुक्त किया जायेगा।
3. एन.पी.वी. निधि में जमा धनराशि से चाहरदीवारी निर्माण/ पर्वतीय क्षेत्रों में पुश्तों के निर्माण भी कराये जा सकते हैं परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निकाय द्वारा प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय एवं शासन स्तर पर प्र.वि. के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा और धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. ठोस अपशिष्ठ के निस्तारण हेतु कई मामलों में भूमि अध्यापित द्वारा भूमि कय करनी होगी। भूमि आपसी सहमति से भी कय की जा सकती है, जिसके सम्बन्ध में शासन के स्थाई आदेश हैं। निजी भूमि का मुआयना केवल कलैक्टर के आदेश के अनुसार ही किया जायेगा।

T.P.O